//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 74/2019

उनवान

1 सम्पतलाल पुत्र बृजलाल जाति साद निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद
2. सज्जन देवी पुत्री छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 23/5/24

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी की निम्न आराजी प्रार्थीगण की आवंटित/गैर खातेदारी की है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
997/934	3725/4504	0.72
	3726/4411	0.41
996/935	3725	1.00
	3726/4410	0.21

उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 2951 रकबा 14–10–0 व 3014 रकबा 61–13–0 भूमि सिंलिग से प्रार्थीगण को आवंटित हुयी थी। आवंटन दिनांक से प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी होने के कारण अप्रार्थी उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी को पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने मूल वाद में जवाब पेश किया तथा इस पत्रावली में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:26:46 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :— पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा अलग—अलग खातें में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की गैर खातेदरी में है। उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुये है। प्रार्थीगण ने खातेदारी प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये यह स्पष्ट नही किया है। अप्रार्थी द्वारा किस प्रकार दखलदांजी की जा रही है। यह स्पष्ट नही किया है। प्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा पर कब्जा मूल वाद में साक्ष्य से तय होगा। किन्तु गैर खातेदारी आराजी पर तहसीलदार को बिना ठोस कारण के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति में नियमित प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :— विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण उक्त आराजी के गैर खातेदार है। अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर कोई क्षति कारित नही की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :— न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :— अतः ग्राम बाघसुरी की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:26:46 IST
Reason: SelfAttested